



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3940/NGT OA 653/19/2019

दिनांक 19/08/19

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) & [ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 13.08.2019 in matter of 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors Versus State of Uttar Pradesh.**

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 14.08.2019 in matter of O.A. 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors Versus State of Uttar Pradesh on 13-08-2019, the compliance report is submitted for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

  
Regional Officer

**Copy to:**

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

**Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on 13.08.2019 in matter of OA No. 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors Versus State of Uttar Pradesh**

Hon'ble National Green Tribunal passed the following order on 13.08.2019 in OA No. 653/2019 Justice A.K. Roopanwal Versus State of Uttar Pradesh :-

*" Grievance in this application is that respondents 6 and 7, Presidium School and Indirapuram Habitat Centre respectively are using diesel generator sets creating air and noise pollution at Indirapuram, Ghaziabad in violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Air pollution is also affecting the students of the Presidium School and inhabitants of the area. Diesel is being stored in painting drums in open which is life threatening.*

*With a view to examine the allegation, it will be appropriate to require a factual and action taken report from Ghaziabad Development Authority and U.P. State PCB. The nodal agency will be the State PCB for compliance and coordination. The report be furnished to this Tribunal within one month by e-mail at judicialngt@gov.in.*

*The applicant may furnish set of papers to Ghaziabad Development Authority and U.P. State PCB and file affidavit of service within one week.*

*List for further consideration on 22.10.2019.. "*

In compliance to the above said order, inspection of M/s Presidium School, Ahinsa Khand, Indirapuram and Indirapuram Habitat Centre, Ahinsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad was carried out on 14.10.2019 jointly by the officers of U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad and Ghaziabad Development Authority. The findings of inspection are as follows

**M/s Presidium School, Ahinsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad**

The school is situated in the residential area of Indirapuram, Ghaziabad. Unit has installed 03 DG sets of capacities 750 KVA, 750 KVA and 82.5 KVA. DG set of capacity 82.5 KVA is used as a stand by. During inspection, the ambient noise monitoring was carried out while the 02 DG sets of 750 KVA capacity were in operation. The details are as follows :-

Sl. No	DG set Capacity	Status of Acoustic Enclosure	Stack Height	Observed values during DG set in operation	Remarks
				Standard of silence zone in Day 50dB	
1.	750 KVA	Installed	Installed as per norms	67.2 dB	Noise value is above the norms while both the DG sets were in operation
2.	750 KVA	Installed	Installed as per norms		
3.	82.5 KVA	Installed	Not installed as per norms	-	Not in operation (Only used as stand by)

As per the above, it is observed that during operation of DG sets, the noise value is above the prescribed norms in the sensitive zone. The stack height of 82.5 KVA DG set was not found as per the norms. Status of same is shown in **figure 1**.



The used oil generated from DG sets was found to be stored in open area in closed containers. Dedicated closed room has not been provided for storage of hazardous waste. No agreement has been done with TSDF for transportation and disposal of hazardous facility. Authorization under the Hazardous Waste Management Rules, 2016 has not been obtained for the hazardous waste generated. Status of the same is shown in **figure 2**.



**M/s Indirapuram Habitat Centre, Ahinsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad**

The commercial complex is situated in the residential area of Indirapuram, Ghaziabad. Unit has installed 03 DG sets of capacities 1010 KVA, 2000 KVA and 2000 KVA. The DG sets are installed in the basement of the commercial complex in the basement lot. During inspection, the ambient noise monitoring was carried of DG sets while in operation. The details are as follows :-

Sl. No	DG set Capacity	Status of Acoustic Enclosure	Stack Height	Observed values during DG set in operation	Remarks
				Standard of silence zone in Day 50dB	

1.	1010 KVA	Not Installed	Installed as per norms	89.6dB	Noise value was found above the norms while DG sets were in operation.
2.	2000 KVA	Installed	Installed as per norms	85.0dB	
3.	2000 KVA	Installed	Installed as per norms		

Noise monitoring reports are annexed as **annexure 1**. As per the above, it is observed that during operation of DG sets, the noise value is above the prescribed norms in the sensitive zone. 02 DG sets of 2000KVA have not been installed with acoustic enclosure. Status of same is shown in **figure 3**.



Dedicated closed room has not been provided for storage of hazardous waste. No agreement has been done with TSDF for transportation and disposal of hazardous facility. Authorization under the Hazardous Waste Management Rules, 2016 has not been obtained for the hazardous waste generated. Status of the same is shown in **figure 4**.



**Observations :-**

1. Common layout map for school and the commercial complex has been approved by Ghaziabad Development Authority.
2. Consent to operate for operation of D.G. sets have not been obtained from U.P. Pollution Control Board.
3. Hazardous waste authorization for the used oil generated from operation of DG sets have not been obtained under the Hazardous Waste Management Rules, 2016 from U.P. Pollution Control Board.
4. The noise level during operation of DG sets were found to be above the prescribed standards.

**Action Taken:-**

In view of the non-compliances found during inspection. U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad vide letter no 3894/NGT-653/19/19 Dated 16.10.2019 has recommended for imposition of environmental compensation of Rs 50,40,000/- (Fifty Lakh Forty Thousand Only) and recommendation for closure of operation of DG sets under section 31(a) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, same is annexed as Annexure II and shall be imposed at earliest.

The report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.



**(Subhash Chandra)**  
Scientific Assistant  
Regional Office, UPPCB  
Ghaziabad




**(Ankit Singh)**  
Assistant Environmental Engineer  
Regional Office, UPPCB  
Ghaziabad



**(A.K. Chaudhry)**  
Executive Engineer, Zone 6,  
Ghaziabad Development Authority  
Ghaziabad

**Regional Officer**





ANNEXURE-1

**क्षेत्रीय कार्यालय - 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद**  
**REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GHAZIABAD**

संदर्भ सं० : .....

दिनांक .....

**NOISE MONITORING REPORT**

M/S- India Habitat Center Indrapuram Ghaziabad

Date of Monitoring – 14-10-2019

Monitored – Subhash Chandra (S.A.), Ankit Singh (A.E.E)

S.No.	Area of monitoring		Observed value
			Standard of commercial zone in Day 65 dB
1	Parking Area (DG set 1000KB)	DG set Non operational	53.4 dB
		DG set Operational	89.6 dB
2	Parking Area (DG set 2000KB)	DG set Non operational	51.0 dB
		DG set Operational	85.0 dB
3	Open Area	DG set Operational	68.0 dB

16/10-19  
S.A

A.S.O

A.E.E

R.O.



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

ANNEXURE-2

संदर्भ संख्या : 3894/HRT 53/19/19 दिनांक 16-10-19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** मैसर्स होमेन क्लब एण्ड इन्स प्रा० लि० (इन्द्रापुरम हेवीटेड सेन्टर), प्लॉट संख्या-16, अहिंसा खण्ड-1 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद पर संचालित कर्मिश्नियल काम्प्लेक्स एवं प्रिंसीडियम स्कूल, में स्थापित डी०जी० सेट से हो रहे वायु प्रदूषण के कम में बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors. Applicant(s) Versus State of Uttar Pradesh & Ors में दिनांक 13.08.2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स प्रिंसीडियम स्कूल, अहिंसा खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद एवं कर्मिश्नियल काम्प्लेक्स, इन्द्रापुरम, हेवीटेड सेन्टर, गाजियाबाद में स्थापित जनरेटर का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी के साथ दिनांक 14.10.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर स्कूल एवं कर्मिश्नियल काम्प्लेक्स का संचालन किया जा रहा है। स्कूल परिसर में स्थापित डी०जी० सेट के संचालन से हो रहे प्रदूषण एवं डी०जी० सेट से जनित यूज्ड ऑयल का खुले में भण्डारण से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के कम में वाद संख्या 653/2019 मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है। उक्त स्कूल परिसर में वर्तमान में 06 डी०जी० सेट क्षमता 750 के०वी०ए० के 02, 2000 के०वी०ए० के 02, 1080 का एक एवं 82.5 के०वी०ए० का एक डी०जी० सेटस स्थापित है। निरीक्षण के दौरान डी०जी० सेटस से जनित ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण कराया गया, जिसमें ध्वनि तीव्रता मानकों से अधिक पायी गयी। इकाई द्वारा डी०जी० सेट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, डी०जी० सेट का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, यूज्ड ऑयल/फिल्टर को नियमानुसार भण्डारित नहीं किया जा रहा है तथा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ०/पंजीकृत रिसाईकलर्स से अनुबन्ध किया गया है एवं न ही राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया गया है। निरीक्षण आख्या में इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 50,40,000/- अधिरोपित किये जाने की संस्तुति भी गयी है, जिसकी गणना निरीक्षण आख्या में वर्णित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनरेटर के संचालन से इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट अधिनियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत इकाई में स्थापित 06 डी०जी० सेटस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति तथा इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रश्न अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4180108

मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010  
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

मैसर्स शोमेन क्लब एण्ड इन्स प्रा० लि० (इन्द्रापुरम हेवीटेड सेन्टर), प्लाट संख्या-16, अहिंसा खण्ड-1 इन्द्रापुरम, गाजियाबाद पर संचालित कर्मिश्यल काम्पलेक्स एवं प्रिंसीडियम स्कूल, में स्थापित डी०जी० सेट की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors. Applicant(s) Versus State of Uttar Pradesh & Ors में दिनांक 13.08.2019 में पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स प्रिंसीडियम स्कूल एवं कर्मिश्यल काम्पलेक्स मैसर्स इन्द्रापुरम हेवीटेड सेन्टर, अहिंसा खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद में स्थापित जनरेटर का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी के साथ दिनांक 14.10.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-


1. प्रश्नगत स्थल पर स्कूल एवं कर्मिश्यल काम्पलेक्स का संचालन किया जा रहा है। परिसर में स्थापित डी०जी० सेट के संचालन से हो रहे प्रदूषण एवं डी०जी० सेट से जनित यूज्ड ऑयल का खुले में भण्डारण से हो रहे प्रदूषण की शिकायत के कम में वाद संख्या 653/2019 Justice A.K. Roopanwal (Retd.) & Ors. Applicant(s) Versus State of Uttar Pradesh & Ors मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 13.08.2019 को स्कूल का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं गाजियाबाद गविकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से करते हुए आख्या मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. उक्त स्थल पर स्कूल परिसर में वर्तमान में 03 डी०जी० सेट क्षमता 750 के०वी०ए० के 02 एवं 82.5 के०वी०ए० है। निरीक्षण के दौरान 82.5 के०वी०ए० का डी०जी० सेट स्टेण्डवाइ के रूप में स्थापित पाया गया। 750 के०वी०ए० क्षमता के दोनों डी०जी० सेटस पर एकास्टिक इन्क्लोजर एवं चिमनी की ऊंचाई मानकों के अनुरूप पायी गयी, 82.5 के०वी०ए० के डी०जी० सेट पर एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित पाया गया परन्तु एग्जास्ट की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:-



3. निरीक्षण के दौरान 750 के०वी०ए० के 02 डी०जी० सेटस की बन्द अवस्था एवं संचालित अवस्था में जनित ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण कराया गया। अनुश्रवण के दौरान ध्वनि की तीव्रता निर्धारित मानकों से कुछ अधिक पायी गयी। अनुश्रवण आख्या संलग्न है।
4. स्थल पर कर्मिश्यल काम्पलेक्स परिसर में 03 डी०जी० सेट क्षमता 2000 के०वी०ए० के 02 एवं 1010 के०वी०ए० है। उक्त तीनों डी०जी० सेटस कर्मिश्यल काम्पलेक्स के बेसमेन्ट में पार्किंग एरिया के समीप स्थापित किये गये हैं। 2000 के०वी०ए० क्षमता के दोनों डी०जी० सेटस पर एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित नहीं है एवं चिमनी की ऊंचाई मानकों के अनुरूप पायी गयी। 1010 के०वी०ए० के डी०जी० सेट पर एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित पाया गया एवं एग्जास्ट की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:-

S.A

AEIS



5. निरीक्षण के दौरान तीनो डी0जी0 सेटस (2X2000 KVA & 1010 KVA) की बन्द अवस्था एवं संचालित अवस्था मे जनित ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण कराया गया। अनुश्रवण के दौरान ध्वनि की तीव्रता निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। अनुश्रवण आख्या संलग्न है।
6. निरीक्षण के दौरान डी0जी0 सेटस से जनित यूज्ड ऑयल का भण्डारण नियमानुसार नही पाया गया। उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि यूज्ड ऑयल को अनुबन्धित बेन्डर को दिया जाता है परन्तु उक्त हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है।



7. पूर्व मे इकाई परिसर के स्कूल मे संचालित डी0जी0 से जनित प्रदूषण की शिकायत के कम मे इस कार्यालय की संस्तुति अनुसार बोर्ड के पत्र दिनांक 14.11.2017 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था, जिसके पश्चात इकाई द्वारा 02 नये डी0जी0 सेटस की स्थापना कर चिमनी की ऊचाई मानकों के अनुरूप करते हुए बन्दी आदेश निक्षेप किये जाने का अनुरोध किया गया था, तत्कम मे इस कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण के पश्चात की गयी संस्तुति अनुसार बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से बन्दी आदेश इस शर्त के साथ निक्षेपित किया गया था कि स्कूल द्वारा डी0जी0 सेट का संचालन सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये, डी0जी0 सेट पर स्थापित ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का समुचित/नियमित संचालन किया जाये एवं डी0जी0 सेटस के यूज्ड ऑयल/फिल्टर्स का निस्तारण टी0एस0डी0एफ0/पंजीकृत रिसाईकलर्स के माध्यम से किया जाये, पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।
8. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि उक्त इकाई का नक्सा कमिश्नरियल काम्प्लैक्स एवं स्कूल हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त स्थल पर कमिश्नरियल काम्प्लैक्स के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 24.04.2008 के माध्यम से प्राप्त तथा उक्त परियोजना की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.11.2006 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

*S.A*

*AEE*

9. इकाई द्वारा डी0जी0 सेट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है, डी0जी0 सेट का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, यूज्ड ऑयल/फिल्टर को नियमानुसार भण्डारित नहीं किया जा रहा है तथा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु टी0एस0डी0एफ0/पंजीकृत रिसाईकलर्स से अनुबन्ध किया गया है एवं न ही राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया गया है।
10. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनरेटर के संचालन से स्कूल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट अधिनियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।
11. बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पत्र सं0 एच 40082/एच-70/सी-70/2019 दिनांक 14.08.2019 के अनुपालन में उद्योग/इकाई पर अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन की गणना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0 बी-31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0-1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निम्नवत् की जा सकती है-

$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$ ,

**PI = Pollution index of Industrial sector- Environmental Compensation** हेतु उद्योग के **PI** की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है-

**Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार **Pollution index range** लाल श्रेणी के उद्योगों हेतु 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत **Pollution index** 80, 50 व 30 का सुझाव दिया गया है। उक्त उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में किया जाता है तथा उद्योग लाल श्रेणी का है। **Environmental Compensation** हेतु गाइड लाइन के सुझाव के अनुसार गणना सूत्र में **PI - 80** (औसत) को आधार भी माना जा सकता है।

इकाई द्वारा घरेलू प्रक्रिया में जल का प्रयोग किया जाता है तथा घरेलू प्रक्रिया से लगभग 100 के0एल0 से अधिक उत्स्रवाह जनित होता है। **Environmental Compensation** हेतु गाइड लाइन के अनुसार **Water pollution score** तदनुसार **W1 score = 0 & W2 = 10**

अर्थात् **Over all water pollution score W = W1+W2 = 10**

इकाई द्वारा डी0जी0 सेटस में ईंधन हेतु डीजल का प्रयोग किया जाता है। **Environmental Compensation** हेतु गाइड लाइन के अनुसार **Air pollution score polluted criteria** के अन्तर्गत होगा। तदनुसार **A1 = 0**

अर्थात् **Over all air pollution score A = A1+A2 = 0**

इकाई में डी0जी0 सेट के संचालन से परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होता है, जिसे मानकर **Environmental Compensation** की गणना किया जाना उचित होगा।

अर्थात् **HW = 15**

उपरोक्तानुसार कुल **PI = W+A+HW = 10+0+15 = 25**

नोट : उक्त इकाई लाल श्रेणी की है तथा **Environmental Compensation** हेतु गाइड लाइन के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों हेतु **PI minimum- 60 and Maximum - 100** है। अतः **PI = 25** गाइड लाइन में वर्णित लाल श्रेणी हेतु न्यूनतम **PI = 60** से कम है। अतः पी0आई की मात्रा 80 माना जा सकता है।

**N = Number of days of violation took place-** बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से बन्दी आदेश इस शर्त के साथ निक्षेपित किया गया था कि स्कूल द्वारा डी0जी0 सेट का संचालन सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये, डी0जी0 सेट पर

*S.A.*

*AGG*

स्थापित ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का समुचित/नियमित संचालन किया जाये एवं डी0जी0 सेटस के यूज्ड ऑयल/फिल्टर्स का निस्तारण टी0एस0डी0एफ0/पंजीकृत रिसार्इकलर्स के माध्यम से किया जाये, जिन शर्तों का अनुपालन इकाई द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तदनुसार दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 14.10.2019 तक इकाई को डिफाल्टर दिनांक माना जा सकता है। अर्थात् दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 14.10.2019 के मध्य उद्योग के विरुद्ध **Environmental Compensation** हेतु गणना सूत्र में **N=504** को आधार माना जा सकता है।

**R= R is a factor in Rupees for penalty - Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार **R** मिनिमम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदनुसार गणना सूत्र में **R=250** को आधार माना जा सकता है।

**S= Factor for scale of operation- Environmental Compensation** हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार गणना सूत्र में **S=0.5** को आधार माना जा सकता है।

**LF= Location Factor-** उक्त इकाई जनपद गाजियाबाद इन्द्रापुरम में स्थापित है। इन्द्रापुरम की आबादी 1 लाख से 10 लाख के मध्य है। गणना सूत्र में 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या पर लोकेशन फैक्टर का मान 1.0 दिया गया है। अतः गणना सूत्र में **LF=1.0** को आधार माना जा सकता है।

उपरोक्तानुसार उद्योग के विरुद्ध अवधि (दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 14.10.2019 ) 504 दिन के लिये गाइड लाइन सूत्र के अनुसार **Environmental Compensation** हेतु गणना निम्नवत् है-

**PIxNxRxSxLF**

**80x504x250x0.5x1.0= 50,40,000/-**

उपरोक्तानुसार संदर्भित इकाई के विरुद्धरूपया 50,40,000 /- (रूपया पचास लाख चालीस हजार मात्र) **Environmental Compensation** आरोपित किये जाने इकाई में स्थापित डी0जी0 सेटस क्षमता 750 के0वी0ए0 के 02, 2000 के 02, 1010 के0वी0ए0 एवं 82.5 के0वी0ए0 के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।



(सुभाष चन्द्र)  
वैज्ञानिक सहायक



(अजित सिंह)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

